कचरा बीनने वाले, सामाजिक पदानुक्रम और शहरी भारत के अदृश्य कार्यबल

UPSC प्रासंगिकता: GS-III | समावेशी विकास / शहरी विकास / पर्यावरण

चर्चा में क्यों?

IAS-PCS Institute

शहरी कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण (Recycling) में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, भारतीय शहरों में कचरा बीनने वाले (Waste-pickers) सामाजिक रूप से हाशिए पर, आर्थिक रूप से असुरक्षित और संस्थागत रूप से अदृश्य बने हुए हैं। यह शहरी असमानता, जाति-आधारित बहिष्कार और अनौपचारिक श्रम शासन (Informal Labour Governance) के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है।

पृष्ठभूमि

भारत के तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) की चुनौती को बढ़ा दिया है।

भारतीय शहर सालाना **62 मिलियन टन** से अधिक नगर निगम ठोस कचरा पैदा करते हैं। इस कचरे का लगभग **15-20%** पुनर्चक्रित किया जाता है, जिसका मुख्य श्रेय अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के श्रम को जाता है।

@resultmitra www.resultmitra.com

भारत में कचरा बीनने का काम **जातिगत पदानुक्रम** से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें दलित, प्रवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की संख्या बहुत अधिक है। ऐतिहासिक रूप से "प्रदूषणकारी" व्यवसायों से जुड़े होने के कारण, ये श्रमिक जाति, वर्ग, लिंग और अनौपचारिकता के बीच फंसे हुए हैं।

शहरी भारत में कचरा बीनने वालों की भूमिका

कचरा बीनने वाले कई महत्वपूर्ण लेकिन कम सराहे गए कार्य करते हैं:

- **पर्यावरण सेवा:** वे रीसाइक्लिंग को सक्षम करते हैं, लैंडफिल (कचरा डंपयार्ड) पर दबाव कम करते हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं।

- **आर्थिक योगदान:** पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की आपूर्ति करके, वे भारत की अनौपचारिक रीसाइक्लिंग अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। अनुमान है कि वे नगरपालिकाओं के सालाना **₹20,000–₹25,000 करोड़** बचाते हैं।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य:** उनके काम से बिना छँटनी किए गए कचरे के ढेर कम होते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।

उदाहरण: पुणे में SWaCH जैसे कचरा बीनने वाले समूहों ने दिखाया है कि अनौपचारिक श्रमिकों को एकीकृत करने से कचरा पृथक्करण (Waste Segregation) और सेवा दक्षता में सुधार होता है।

संरचनात्मक अदृश्यता और सामाजिक पदानुक्रम

कचरा बीनने वाले निम्नलिखित कारणों से सामाजिक रूप से अदृश्य बने हुए हैं:

- **जातिगत कलंक (Caste Stigma):** कचरा संभालने को "गंदा काम" माना जाता है, जो सामाजिक बहिष्कार को पुख्ता करता है।
- **लैंगिक शोषण:** कचरा बीनने वालों में एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है, जिन्हें कम कमाई और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- **अनौपचारिकता:** अनुबंधों, पहचान पत्रों या कानूनी मान्यता की कमी उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से बाहर रखती है।

नीतिगत और शासन संबंधी कमियाँ

1. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016:** ये नियम कचरा बीनने वालों को मान्यता तो देते हैं, लेकिन कार्यान्वयन का काम शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) पर छोड़ देते हैं, जिससे परिणाम हर जगह अलग-अलग होते हैं।
2. **निजीकरण:** कचरा प्रबंधन का निजीकरण अक्सर ठेकेदारों के पक्ष में होता है, जिससे अनौपचारिक श्रमिक विस्थापित हो जाते हैं।
3. **DAY-NULM:** दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इन श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन की जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।

आगे की राह (Way Forward)

एक अधिकार-आधारित और समावेशी शहरी दृष्टिकोण आवश्यक है:

- **औपचारिक मान्यता:** अनिवार्य पंजीकरण, आईडी कार्ड प्रदान करना और नगर पालिका कचरा प्रणालियों में समावेश।
- **सामाजिक सुरक्षा:** स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और दुर्घटना बीमा तक पहुंच।
- **सामूहिकता (Collectivisation):** सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को समर्थन देना, विशेष रूप से महिला नेतृत्व वाले मॉडल।
- **शहरी नियोजन में एकीकरण:** कचरा बीनने वालों को "अनौपचारिक बाहरी व्यक्ति" के बजाय "आवश्यक सेवा प्रदाता" के रूप में मान्यता देना।
- **जाति-संवेदनशील शासन:** जागरूकता अभियानों और कानूनी सुरक्षा उपायों के माध्यम से सामाजिक कलंक को दूर करना और श्रम की गरिमा सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

कचरा बीनने वाले एक टूटी हुई व्यवस्था के अवशेष नहीं हैं, बल्कि टिकाऊ शहरी भविष्य के केंद्र में हैं। उनके श्रम को मान्यता देना न केवल सामाजिक न्याय है, बल्कि शहरी शासन को समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और संवैधानिक गरिमा के अनुरूप बनाना भी है। भारत के शहरों को वास्तव में "स्मार्ट" बनाने के लिए सबसे पहले उनके सबसे अदृश्य श्रमिकों को दृश्यमान बनाना आवश्यक है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

Q1. शहरी भारत में कचरा बीनने वालों (Waste-pickers) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे पुनर्चक्रण (Recycling) और लैंडफिल कचरे को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सभी कचरा बीनने वालों के अनिवार्य औपचारिक रोजगार का आदेश देते हैं।
3. भारत में कचरा बीनना जाति-आधारित व्यावसायिक पदानुक्रम से निकटता से जुड़ा हुआ है।

IAS-PCS Institu
Result Mitra
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 1 and 3 C. केवल 2 and 3 D. 1, 2 और 3

सही उत्तर: B

Q2. कचरा बीनने वालों जैसे शहरी अनौपचारिक श्रमिकों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है?

IAS-PCS Institute

A. पीएम गरीब कल्याण योजना B. DAY-NRLM C. DAY-NULM D. पीएम-स्वनिधि (PM-SVANidhi)

सही उत्तर: C

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "कचरा बीनने वाले भारत की शहरी अर्थव्यवस्था में एक अदृश्य लेकिन अपरिहार्य कार्यबल का हिस्सा हैं।" चर्चा कीजिए कि कैसे सामाजिक पदानुक्रम और शासन की कमियाँ उनके हाशिए पर जाने में योगदान देती हैं। कचरा बीनने वालों को स्थायी शहरी कचरा प्रबंधन प्रणालियों में एकीकृत करने के उपाय सुझाएं। (250 शब्द)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806